

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 79/2019

प्रार्थीगण :-

1. मानाराम पुत्र खीयाराम वगैरा (15)
जाति राजपूत निवासी गादेवी, वांटा तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर
वनाम

विप्रार्थीगण :-

1. इन्द्रसिंह पुत्र वजयसिंह वगैरा (36)
37. ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी पं.स. गुड़ामालानी
38. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला वाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण - अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक :-

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प आलपुरा पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071-2074 सरहद मौजा जुगताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 725 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 726 रकबा 102-03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जुगताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 725 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 726 रकबा 102-03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय गादेवी में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

क्रमांक: वाद/2021/901

दिनांक : 20/10/21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

मानाराम कोरे

इन्दीर दे कोरे

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी


राजस्व आवेदन सं. 79/19

निर्णय दिनांक :- 18-10-21

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम.....जुड़ामालानी के खेत खसरा
नम्बर.....725 रकबा.....0-03 खसरा नम्बर.....726 रकबा.....1-03 खसरा
नम्बर..... रकबा..... खसरा नम्बर..... रकबा..... एवं
खसरा नम्बर..... रकबा..... की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार.....गुड़ामालानी को कमी इनर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आव यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
दिनांक : 20/10/21

क्रमांक: वाद/2021/902, 906
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदारगुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.....गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी.....डी.ल.पु.रा. को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीमानाराम कोरे
5. विप्रार्थीइन्दीर दे कोरे


(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल